न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 1968–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 172/11–12/अपील

1– नर्मदाप्रसाद पिता रामौतार जाति कोरकू
2– श्रीमती राधाबाई पति स्व. रामौतार जाति कोरकू
निवासीगण ग्राम साक्ट्या
तहसील खिरकिया जिला हरदा
कृषक ग्राम धारूखेड़ी
तहसील छनेरा (नया हरसूद)
जिला खण्डवा .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला खण्डवा .....प्रत्यर्थी

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 28–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपलार्थीगण द्वारा कलेक्टर, खण्डवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धारूखेड़ी तहसील छनेरा जिला खण्डवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 158/3 रकबा 0.360 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 158/1 रकबा 1.470 हेक्टेयर उनके संयुक्त स्वामित्व की भूमि है, जो कि असिंचित होकर अनुपजाऊं है, इस कारण वे उस भूमि का विकय कर ग्राम सकट्या तहसील खिरकिया जिला हरदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 33/10 रकबा 1.821 हेक्टेयर कय करना चाहते हैं, अतः विकय की अनुमति प्रदान की जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–21/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–12–2011 को आदेश पारित कर अपीलार्थीगण का विकय संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा संहिता धारा 165 (6)(1)(1) का प्रकरण मानकर त्रुटि की गई है, क्योंकि अपीलार्थीगण हरसूद तहसील के निवासी नहीं होकर हरदा तहसील के निवासी हैं । यह भी कहा गया कि उनका प्रकरण संहिता की धारा 165 (6)(2)(1) के अन्तर्गत आता है, और इस धारा के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दी जानी थी, जो नहीं देने में उनके द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण के निवास स्थान को नहीं देखा जाकर जहां भूमि स्थित है, उस स्थान को मानकर विकय की अनुमति पर विचार किया जायेगा, और भूमि हरसूद तहसील में स्थित है, जो कि आदिम जनजाति क्षेत्र है । इस आधार पर कहा गया कि प्रकरण में संहिता की धारा 165 (6)(1)(1) ही लागू होगी । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम धारूखेड़ी तहसील हरसूद में स्थित है, और उक्त क्षेत्र को राज्य शासन द्वारा आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है । संहिता की धारा 165 (6)(1)(एक) में आदिम जनजाति क्षेत्र में स्थित भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने पर रोक लगाने संबंधी प्रावधानित है, अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं देने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थीगण ग्राम धारूखेड़ी में निवास नहीं करते हैं, और वर्तमान में हरसूद तहसील छनेरा में आता है, जो कि आदिम जनजाति क्षेत्र में नहीं है, कारण प्रश्नाधीन भूमि जिस क्षेत्र में स्थित है, वह आदिम जनजाति क्षेत्र है, और अपीलार्थीगण का निवास नहीं करना महत्वहीन है। इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 28–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर